न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड

अपील स0:–02/2026 पीठासीन अधिकारी–ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)

साधूराम पुत्र ओमकार जाति माली निवासी ललाना तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान

–अपीलांट

बनाम

श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान

–रेस्पोडेंट

अपील धारा 76 एलआर एक्ट विरुद्ध आदेश तहसीलदार पावटा आदेश दिनांक 17.12.2025 बाबत सीमाज्ञान खसरा नंबर 484/174/0.04 वाके मौजा ललाना तहसील पावटा

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट वकील श्री सुधीर कुमार शर्मा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 5/26।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नंबर 484/174/0.04 वाके मौजा ललाना तहसील पावटा के खातेदार काश्तकार अपीलांट है तथा अपीलांट द्वारा उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय पावटा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार महोदय द्वारा पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु तहरीर किये जाने पर पटवारी हल्का ने दिनांक 27.11.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मामला विवादित होना व कब्जा संबंधित विवाद होना जाहिर करते हुए सीमाज्ञान किये जाने से असमर्थता जाहिर की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सूचित किये एवं बिना अपीलांट को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिये उपरोक्त सीमाज्ञान के आवेदन पत्र को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपील निम्न भांति प्रस्तुत है

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2025 विधि विरुद्ध व न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।
2. यह कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.11.2025 को सीमाज्ञान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने रिपोर्ट हेतु पटवारी हल्का को उसी दिवस भिजवाया। पटवारी हल्का ने उसी दिवस यानि दिनांक 27.11.2025 को बिना मौके पर गये एवं बिना वस्तुस्थिति की जांच किये विवादित मामला दर्शित करते हुए सीमाज्ञान किये

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

जाने में असमर्थता जाहिर करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सूचित किये व बिना युक्ति युक्त अवसर दिये विधि विरूद्ध जाकर उपरोक्त आवेदन पत्र खारिज कर दिया।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 128 एलआर एक्ट का हवाला देते हुए यह जाहिर किया कि निर्विवादित मामलो में ही तहसीलदार सीमाज्ञान करने में सक्षम है विवादित मामलो में चाराजोही करनी होगी। जबकि धारा 128 एल आर एक्ट में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि सीमा विवाद सीमा संबंधि समस्त विवाद भू अभिलेख द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से किये जायेंगे परंतु खेतो में सीमा संबंधित आवेदन पत्र जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नही हो किन्तु सही सीमा चिन्हो के अभाव में ऐसे विवाद उठने की संभावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किये जायेंगे तथा उसी के द्वारा ही निपटाये जायेंगे। इससे स्पष्ट है कि मौके पर सही सीमा चिन्हो के अभाव में उठने वाले विवादो का निष्पादन तहसीलदार महोदय द्वारा ही किया जायेगा परंतु तहसीलदार महोदय ने पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई गलत रिपोर्ट के आधार पर विधि विरूद्ध जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान के आवेदन पत्र को खारिज करने की भारी भूल की है।
4. यह कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी दिनांक 17.12.2025 को हुई जिस पर अपीलांट ने बिना देरी किये अधीनस्थ न्यायालय से उपरोक्त आदेश की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 20.12.2025 को उपरोक्त नकल अपीलांट को दिये जाने पर अपीलांट ने बिना देरी किये जानकारी से अन्दरमियाद प्रस्तुत की है।
5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील सुनने व तय करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को हांसिल है।
6. यह कि अपील नीयत कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।
7. यह कि अपील के अन्य तथ्य बर वक्त बहस अर्ज किये जायेगें।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2025 निरस्त कर तहसीलदार पावटा को मय पुलिस जाब्ता मौके पर भिजवाया जाकर आराजी हाल खसरा नंबर 484/174/0.04 वाके मौजा ललाना तहसील पावटा में मुस्तकिल पाइंट कायम कर सीमाज्ञान करवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

8. अपील जरिये वकील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेन्ट को तल्बी हेतु नोटिस जारी किया गया बाद तामिल रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
9. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की है। अपीलार्थी द्वारा आराजी खसरा नंबर 484/174/0.04 के सीमाज्ञान हेतु आवेदन दिया गया था, जिसे तहसीलदार महोदय ने केवल पटवारी की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर बिना सुनवाई का अवसर दिए खारिज कर दिया। पटवारी ने आवेदन के दिन ही बिना मौके पर जाए की रिपोर्ट पेश कर दी, जबकि धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत सीमा चिन्हों के अभाव में संभावित विवादों का निपटारा करना तहसीलदार का ही विधिक दायित्व है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

विधि–विरुद्ध होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। पैरोकार सरकार ने इस संबंध में निवेदन किया कि तहसीलदार केवल निर्विवादित मामलों में ही सीमाज्ञान करने हेतु सक्षम हैं। यदि मौके पर कोई गंभीर विवाद या कब्जे का मुद्दा विद्यमान है, तो ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान नहीं किया जा सकता। पटवारी रिपोर्ट के आधार पर उक्त विवादीत भूमि पर कब्जा संबंधी विवाद होने के कारण सक्षम न्यायालय के आदेश पर सीमाज्ञान की कार्यवाही की जा सकती है।

10. उभय पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली व विवादित आदेश का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि तहसीलदार ने पटवारी रिपोर्ट प्राप्त होते ही उसी दिन आवेदन खारिज कर दिया। अपीलार्थी को पटवारी रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने या साक्ष्य देने का कोई युक्ति–युक्त अवसर नहीं दिया गया, जो कि न्यायिक प्रक्रिया की गंभीर त्रुटि है। एक ही दिन में आवेदन प्राप्त होना, निर्देश जारी होना और पटवारी की रिपोर्ट आ जाना, इस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौके की वस्तुस्थिति की जांच गहनता से नहीं की गई। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2025 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देकर मौके की वस्तुस्थिति की जॉच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।
11. निर्णय आज दिनांक 21/5/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया ।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड़)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड़)